न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ०टी०सी०सं०प्रथम/विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधि०रायबरेली।

उपस्थित: इफराक अहमद,
(एच०जे०एस०)

एस०टी०नं०–80/2015
अ०सं०–337/2009
राज्य प्रति ज्योतिभान यादव आदि
धारा–498A, 323,307 भा०द०सं० व
3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना–
गुरूबक्शगंज जनपद रायबरेली ।

दिनांक 25–9–2018

पत्रावली पेश हुई । पुकार पर विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौ० उपस्थित हैं । अभियुक्त ज्योतिभान यादव एवं रामदुलारी केा न्यायिक अभिरक्षा में पेश किया गया है । अभियुक्तगण द्वारा विचारण में अनुपस्थित रहने व विचारण में सहयेाग न किये जाने के कारण उनकी जमानतें निरस्त करते हुए उन्हें जिला कारागार रायबरेली प्रेषित किया गया था । आज अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र सं० 1558/2018 प्रस्तुत किया गया है ।

जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त पर विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौ० एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता केा सुना । जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हेा ।

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ०टी०सी०प्रथम, रायबरेली ।

लंच बाद पत्रावली पुन: जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पेश हुई ।

1–ज्योतिभान पुत्र गंगादीन । निवासी काली प्रसाद का पुरवा थाना लालगंज जिला
2–रामदुलारी पत्नी गंगादीन। रायबरेली । .....प्रार्थी/अभियुक्तगण

बनाम

राज्य ....अभियेागी ।

एस०टी०नं०–80/2015
धारा–498A, 323,307 भा०द०सं०
व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना–
गुरूबक्शगंज जनपद रायबरेली ।

जमानत प्रार्थना पत्र सं० 1558/2018 मिनजानिब ज्योतिभान यादव व श्रीमती रामदुलारी पत्नी गंगादीन:–

उपरोक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी / अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं । प्रार्थी /अभियुक्त अपने पूर्व अधिवक्ता से बताकर उनके आश्वासन पर बसिलसिले मजदूरी बाहर चला गया था किन्तु पूर्व अधिवक्ता द्वारा

हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र न देने के कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध गैरजमानतीय वारंट जारी हेा गया, अभियुक्तगण गिरफतार होकर दिनांक 18–9–2018 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं ।अभियुक्तगण भविष्य में इस बात की पुनरावृत्ति नही करेगें, नियत तिथि पर उपस्थित आते रहेगें। अभियुक्तगण अपनी नयी विश्वसनीय जमानतें देने केा तैयार हैं । याचना की गयी है कि प्रार्थी/ अभियुक्तगण केा दौरान विचारण जमानत पर रिहा किये जाने की कृपा की जावे । समर्थन में शपथ पत्र दिया गया है । विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया कि अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं और अनुपस्थित हेाने के कारण गैरजमानतीय वारंट न्यायालय द्वारा निर्गत किया गया था तथा गिरफतार होकर दिनांक 18–9–2018 से जेल में है किन्तु अभियुक्तगण द्वारा अनुस्थित रहने के कारण विचारण में विलम्ब कारित किया गया तथा सहयेाग नही किया गया । इसलिये जमानत पर रिहा किये जाने का केाई आधार नही है, जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है । इसमें केाई संदेह नही है कि न्यायालय द्वारा निर्गत गैरजमानतीय वारंट के आलेाक में अभियुक्तगण गिरफतार हेाकर जिला कारागार,रायबरेली में निरूद्ध हैं । इससे पूर्व वे जमानत पर रहे हैं, जैसा कि जमानत आदेश दिनांकित 04–6–2009 एवं 27–6–2009 के आदेश से भी स्पष्ट है । अभियुक्तगण द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए विचारण में सहयेाग नही किया गया किन्तु अब वह इस बात की पुनरावृत्ति नही करेगें ऐसा कथन न्यायालय के समक्ष किया गया है । चूंकि अभियुक्तगण विचारण में सहयेाग करने का आशय रखते हैं,अस्तु मामले के गुणदेाष पर विस्तृत विश्लेषण किये बिना मामले के तथ्येा एवं परिस्थतियेा में शर्तेा के अधीन अभियुक्तगण केा जमानत पर रिहा किया जाना न्यायेाचित प्रतीत हेाता है । जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने येाग्य है ।

<u>आदेश</u>

जमानत प्रार्थना पत्र सं० 1558/2018 ज्येातिभान आदि बनाम राज्य स्वीकार किया जाता है । अभियुक्तगण ज्येातिभान एवं रामदुलारी(प्रत्येक)केा मु० 50,000/– रूपये के ब्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि की देा–देा संतेाष जनक जमानतें प्रस्तुत करने पर तथा निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है:–

1– अभियुक्तगण प्रत्येक नियत तिथि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगें ।

2– साक्षी के उपस्थित आ जाने पर उसकी मुख्यपरीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में शतप्रतिशत सहयेाग करेगें ।

3– विशेष परिस्थतियेा केा छेाड़कर किसी भी आधार पर स्थगन प्रस्तुत नही करेगें ।

उपरेाक्त परिस्थितियेा में यदि अभियुक्तगण किसी अन्य मामले में वांछित न हेा रिहा किया जाय ।

(इफराक अहमद)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ०टी०सी०प्रथम, रायबरेली ।

शंकर सिंह पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम बण्डहिया मजरे बाला थाना हरचन्दपुर जिला रायबरेली .....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, रायबरेली ..... अभियोगी

मुकदमा अ०सं०–106/2018
धारा–452, 354क,506 भा०द०सं० भा०द०सं०
व 7/8 पाक्सो अधिनियम, थाना –हरचन्दपुर
जिला –रायबरेली ।

दिनांक:02–8–2018

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र सं० 880/2018 मिनजानिब शंकर सिंह:–

उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी / अभियुक्त शंकर सिंह की ओर से इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि परिवादिनी रूपरानी पत्नी मेवा लाल ने दिनांक 13–5–2018 केा समय 15–13 बजे थाना हरचन्दपुर में एक प्रथमसूचना रिपोर्ट जरिये प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 156(3)द०प्र०सं०इस आशय की दर्ज करायी कि शंकर पुत्र फुल सिंह सरहंग किस्म का व्यक्ति है, दिनांक 02–2–2017 केा लगभग एक बजे दिन में जब उसकी पुत्री कु० सेानी उम्र 15 साल घर में अकेली थी मौका पाकर शंकर सिंह घर में घुसकर मेरी पुत्री के साथ बुरा काम करने की नियत से हाथ पकड़कर जमीन पर गिरा दिया उसके कपड़े अस्त व्यस्त कर फाड़ने लगा एवं स्तन भी दबा दिया । पुत्री के चिल्लाने पर परिवादिनी जेा घर के पिछवाड़े काम कर रही थी दौड़कर आयी तेा शंकर पुत्री केा छेाड़कर कही भी शिकायत करने पर जान से मार डालने की धमकी देकर चला गया । थाना हरचन्दपुर गयी जहां रिपेार्ट नही लिखी गयी तब कप्तान साहब केा मिलकर व जरिये रजिस्ट्री घटना की सूचना दिया केाई कार्यवाही न हेाने पर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया । प्रार्थी/ अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष व्यक्ति है । प्रार्थी केा गलत एवं फर्जी तथ्यों के आधार पर वाद उपरोक्त में नामित किया गया है । अभियुक्त ने उपरोक्त प्रकृति का केाई अपराध नही किया है । प्रथमसूचना रिपेार्ट अत्यन्त विलम्ब से कानूनी रायमशविरा केबाद दर्ज करायी गयी है । प्रार्थी/ अभियुक्त व परिवादिनी के घर अगल–बगल स्थित हैं । दोनेा परिवारो के बीच आवासीय जमीन केा लेकर आये दिन तू–तू मै मैं हेाती रहतीहै । इसी रंजिश के तहत प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध फर्जी व मनगढंत रिपेार्ट दर्ज करायी गयी है । सत्यता यह है कि जमीनी विवाद के कारण थाना पुलिस हरचन्दपुर में फरवरी 2017

में प्रार्थी/ अभियुक्त का धारा 151 द०प्र०सं० के अन्तर्गत चालान किया गया था । प्रार्थी/ अभियुक्त का केाई आपराधिक इतिहास नही है । प्रार्थी पर उपरोक्त अपराध सृजित नही होता है । प्रार्थी/ अभियुक्त दिनांक 25–6–2018 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं । प्रार्थी/ अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अतिरिक्त अन्य किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तेा प्रस्तुत किया गया है और न ही निरस्त किया गया है । प्रार्थी अपनी जमानतें देने का तैयार है , जमानत का दुरूपयेाग नही करेगा । न्यायालय के आदेश का पालन करेगा एवं विचारण मे पूर्ण सहयेाग करेगा। याचना की गयी है कि प्रार्थी/ अभियुक्त केा जमानत पर रिहा करने की कृपा की जावे । समर्थन में शपथ पत्र दिया गया है । दूसरी ओर विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फैाजदारी / लेाक अभियेाजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरेाध करते हुए कहा गया कि अभियुक्त द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ जघन्य अपराध किया गया है एवं जमानत का अधिकारी नही है । जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जावे ।

सुना तथा प्रपत्रेा का अवलेाकन किया । प्रथमसूचना रिपेार्ट मु०अ०सं० 06/2018 समय 15–13 बजे अन्तर्गत धारा 452/354 क, 506 भा० द० सं० एवं 7/8 पाक्सेा अधिनियम लैंगिक अपराधेा से बालकेा का संरक्षणअधिनियम 2012 प्रार्थी श्रीमती रूपरानी द्वारा न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दर्ज करायी गयी तथा यह आरेाप लगाया गया कि दिनांक 02–2–2017 केा लगभग 1–00 बजे दिन में वादिनी की पुत्री घर में अकेली थी, मैाका पाकर अभियुक्त/ प्रार्थी शंकर सिंह पुत्र फूल सिंह घर में घुसकर पीड़िता के साथ बुरा काम करने की नियत से हाथ पकड़कर जमीन पर गिरा दिया, कपड़े फाड़ने लगा,उसके स्तन भी दबा दिया । प्रार्थिनी की पुत्री के चिल्लाने पर प्रार्थिनी /वादिनी दौड़कर आयी तब अभियुक्त चला गया । पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं०.भी अंकित किया गया जिसमें पीड़िता ने कहा कि मेरी उम्र 17 वर्ष है । दिनांक 2–2–2017 केा मैं घर पर अकेली थी, मेरी माता घर के पीछे काम कर रही थी । देापहर करीब 1–00 बजे मेरे गांव का शंकर पुत्र फूल सिंह मेरे घर में घुस आया और मुझे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया, मेरे कपड़े भी फाड़ दिये तथा मेरे स्तन केा दबाने लगा । मेरे शेार पर मेरी मा आयी तब धमकी दिया कि अगर किसी से यह बात बतायी तेा जान से मार दूंगा और भाग गया .....। पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० अंकित किया गया जिसमें पीड़िता नेकहा कि

प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 10–5–2018 से प्रार्थी जेल में है । प्रार्थी पर आरेाप है कि दिनांक 09–5–2018 की रात केा उसने व सहअभियुक्त अजय ने पीड़िता से उसके दरवाजे पर छेड़खानी की और भाग गये । प्रार्थी निर्देाष है उसे चन्द्रशेखर ने बूंदी छाटने के लिये घर से बुलाकर बूंदी छटवायी और उसी के पैसे के लेन–देन के विवाद में प्रार्थी केा बुरी तरह से मारा पीटा ।बाद में प्रार्थी स्वयं केाई कार्यवाही न कर सके इसलिये उसे उक्त अपराध में झूठा फंसा दिया गया है । प्रार्थी का केाई आपराधिक इतिहास नही है ।

वह दिनांक 06–9–2017 तक चन्द्रपाल इण्टर कालेज शोरा गंगागज रायबरेली में कक्षा–9 का छात्र रहा है तथा उसकी जन्म तिथि 15–12–2002 है । प्रार्थी घटना के समय अवयस्क था और आज भी है । सह अभियुक्त अजय की जमानत माननीय सत्र न्यायाधीश केार्ट नं० 7 से हेा चुकी है । प्रार्थी

/ अभियुक्त अपने पिता सहदेव सिंह के संरक्षण में है एवं वह प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में हाजिर आकर वाद के निस्तारण में सहयेाग करेगा , जमानत का दुरूपयेाग नही करेगा । प्रार्थी का केाई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लखनऊ खण्डपीठ में न तेा दी गयी न ही लम्बित है । प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है । याचना की गयी है कि दैारान विचारण जमानत पर रिहा करने की कृपा की जावे । समर्थन में शपथ पत्र दिया गया है । अभियेाजन की ओर से उपरेाक्त जमानत प्रार्थना पत्र का विरेाध किया गया और कहा गया कि अभियुक्त द्वारा अति गम्भीर अपराध किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है ।

वादी मुकदमा की ओर से प्रथमसूचना रिपेार्ट दिनांक 09–5–2018 केा

2

समय 19–24 बजे इस आशय की दर्ज करायी गयी कि दिनांक 09–5–2018 केा रात में लड़की/ पीड़िता उम्र करीब 13 वर्ष अपने दरवाजे के पास सेा रही थी कि समय करीब 2–00 बजे रात केा विपक्षी अमित पुत्र सहदेव निवासी गूलूपुर थाना हरचन्दपुर जिला –रायबरेल–ी आये तथा मेरी लड़की से अश्लील हरकते करने लगे, मुंह दबा दिया । शेार मचाने पर भाग गये.....। पीड़िता का बयान अर्न्तगत धार 164 द०प्र०सं० अंकित किया गया जिसमें पीड़िता ने कहा कि 08–5–2018 केा रात \ 8 बजे ददू के यहां न्येाता खाने गयी थी वहां अमित ने मुझे आंख मारी, अजय अमित के पास खड़ा था । मैनें ये बात अपने चाचा से बताया चाचा ने अमित केा समझाया । मैं अपने घर गयी और सेा गयी । रात के ढाई बजे घर के बाहर सेा रही थी किसी ने मेरा मुंह दबा दिया । मेरी आंख खुली तेा देखा कि दे लेाग अपने मुंह पर कपड़ा बांधे हुये थे। एक ने मेरा मुह दबा रखा था । मैनें जैसे तैसे शेार मचाया शेार पर मेरे बड़े पापा और मम्मी कमला देवी आये । ये लेाग भागने लगे तेा मेरे चाचा , बड़े पापा और गांव के लेागें ने घेर कर पकड़ा और देखा तेा वे दोनेा अजय और अमित थे ।

वादी मुकदमा ने घटना रात के 2–00 बजे की बतायी है जबकि पीड़िता ने 2–1/2(ढाई)बजे की बतायी है । अभियुक्तगण मुह में कपड़ा बांधे हुए थे । दोनें अभियुक्तगण की समान भूमिका है। सह अभियुक्त अजय पुत्र राममिलन की जमानत दिनांक 29–5–2018 केा स्वीकार की जा चुकी है । अस्तु गुण–देाष पर विस्तृत विश्लेषण किये बिना मामले के तथ्य एवं परिस्थितियो मे जमानत का आधार पर्याप्त पाता हूं । अभियुक्त अमित जमानत पर रिहा किये जाने येाग्य है ।

<u>आदेश</u>

जमानत प्रार्थना पत्र सं० 949/2018 मिनजानिब अमित स्वीकार किया जाता है । अभियुक्त अमित केा उसके द्वारा मु० 60,000/–रूपये स्वबन्ध पत्र व समान धनराशि की दे प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाय ।

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०प्रथम
रायबरेली ।